न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 77/2025(GCMS : 2025/99)

1. **राधेश्याम** पुत्र श्री मोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी 26 बीबी हाल खिचीयां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **दर्शना इन्दलिया,** तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर
2. **बलदेव** पुत्र श्री खेताराम जाति मेघवाल निवासी 26 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **मनोहरलाल** पुत्र श्री भूप सिंह जाति बिश्नोई निवासी 26 बीबी हाल खिचीयां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. **राजेश कुमार** पुत्र श्री करणी सिंह जाति बिश्नोई निवासी 26 बीबी हाल खिचीयां तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
5. **आत्माराम** पुत्र श्री इन्द्रलाल जाति बिश्नोई निवासी 26 बीबी हाल खिचीयां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.09.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183बी, 183सी आरटीए एक्ट विचाराधीन प्रकरण संख्या /2025 अनवानी बलदेव बनाम राधेश्याम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या /2025 अनवानी बलदेव बनाम राधेश्याम अन्तर्गत धारा 183बी, 183सी आरटीए एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद [illegible] तकमील दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:34:12 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर